केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/67
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00053
CICOM/R/2019/00100

दिनांक: 28.02.2019

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम – शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 – बरौनी, जिला – बेगूसराय,
बिहार – 851112.

निर्णय की तारीख : 28.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	19.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.02.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.02.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	89/27.02.2019 (9433/26.02.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 3 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 28.01.2019 को प्राप्त हुआ तथा आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दिनांक 04.02.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00100 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु संयुक्त सचिव (प्र0) से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सहायता मांगी गई । संयुक्त सचिव (प्र0) से मांगी गई सहायता की प्रति अपीलकर्ता को भी प्रेषित की गई, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलकर्ता का "दिनांक 19.01.2019 का आर.टी.आई. आवेदन सं. 114/19 जो कि आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 28.01.2019 को प्राप्त हुआ", उसके बाबजूद भी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित अवधि के पूर्व ही दिनांक 20.02.2019 को अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल कर दी गई है ।

3. अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तिथि के तीस दिनों के भीतर ही दिनांक 20.02.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00100 के माध्यम से संयुक्त सचिव (प्र0) की सहायता लेकर वांछित सूचना अपीलकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है । **आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रदान की गई सूचना से अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः सहमत हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।** श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
01 MAR 2019
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।